

05/12/19

4043

उत्तराखण्ड शासन
लोक निर्माण अनुभाग-1

MD 11/12/06-12-19

संख्या — / 111(1)/19-01(01)/अधि0/17
देहरादून, दिनांक 03 दिसम्बर, 2019

कार्यालय ज्ञाप

C.E.I (H)

प्रमुख अभियन्ता
लोक निर्माण वि.

कार्मिक एवं सर्तकता विभाग, उत्तराखण्ड शासन के पत्र संख्या-18/xxx(6)/19-01(08)/18 दिनांक 08.02.2019 के अनुक्रम में जन शिकायतों के निराकरण के लिए मुख्यमंत्री हैल्पलाईन हेतु लोक निर्माण विभाग के अन्तर्गत शासन स्तर पर चतुर्थ स्तर अधिकारी(L-4) के रूप में संयुक्त सचिव, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड शासन को एल-4 के स्तर शिकायतों के त्वरित निस्तारण के लिये एतद्वारा नामित किया जाता है।

2- शिकायतों पर त्वरित कार्यवाही कर पोर्टल पर अद्यतन आख्या अपलोड करने का दायित्व सर्वप्रथम प्रथम स्तर के अधिकारी एल-1 का होगा, परन्तु समस्त स्तर के अधिकारी एल-2, एल-3 एवं एल-4 प्रतिदिन पोर्टल पर लॉग-इन करके प्राप्त शिकायतों का अनिवार्य रूप से अनुश्रवण करेंगे।

3- एल-4 के स्तर पर शिकायत निस्तारण हेतु समय सीमा 7 दिवस रहेगी। एल-4 के स्तर पर समाधान न होने की दशा में शिकायत मा0 मुख्यमंत्री जी को प्रेषित किये जाने का प्राविधान है एवं मा0 मुख्यमंत्री जी के स्तर पर विभागानुसार लम्बित शिकायतों की समीक्षा प्रमुख सचिव/सचिव की उपस्थिति में विवेचना की जायेगी।

एल-4 के कार्यों की समीक्षा उनके डैशबोर्ड में उपलब्ध अनिस्तारित शिकायतों के आधार पर की जायेगी।

(ओम प्रकाश)
अपर मुख्य सचिव

संख्या-1702/111(1)/19-01(01)/अधि0/17 तददिनांक।

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
2. निजी सचिव को अपर मुख्य सचिव, कार्मिक एवं सर्तकता विभाग, उत्तराखण्ड शासन के पत्र संख्या-135 दिनांक 05.11.2019 के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।
3. समस्त जिलाधिकारी।
4. प्रमुख अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, देहरादून।
5. समस्त मुख्य अभियन्ता स्तर-1/2, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड।
6. समस्त अधीक्षण अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड।
7. अनुभाग अधिकारी, लोक निर्माण अनुभाग-2/3, उत्तराखण्ड शासन।
8. गार्ड फाइल।

CAO-F

SA/मि/वि

जी.के.एम

वा.सं. 1074/131 भा.ता.क. 19

दि-13-12-19.

आज्ञा से,

(प्रदीप मोहन नौटियाल)

अनु सचिव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस आशय के साथ प्रेषित है कि शासन द्वारा दिए गए निर्देशों का अमल करने का कष्ट करें।

01. समस्त मुख्य अभियन्ता लोक निर्माण वि. उत्तराखण्ड
02. समस्त L2 अधिकारी (अधीक्षण अभियन्ता) लोक निर्माण वि. उत्तराखण्ड
03. समस्त L1 अधिकारी (अधीक्षण अभियन्ता) लोक निर्माण वि. उत्तराखण्ड
04. प्रमुख अभियन्ता स्तर-1 मुख्य अभियन्ता विभाग लोक निर्माण वि. देहरादून
05. प्रमुख अभियन्ता स्तर-2 मुख्य अभियन्ता विभाग लोक निर्माण वि. देहरादून
06. प्रमुख अभियन्ता स्तर-3 मुख्य अभियन्ता विभाग लोक निर्माण वि. देहरादून
07. आइ.पी.ई.ए. अपलोड किए जाने हेतु प्रेषित।

(वाइ0 ए.सी.0 सचिव)